रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2011/ज्येष्ठ 25, 1933
No. 316] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2011/JYAISTHA 25, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2011

सा.का.नि. 456(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अपर निदेशक (अभियोजन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, अपर निदेशक (अभियोजन) समूह "क" पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर निदेशक (अभियोजन)	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. ग्रेड वेतन 8700 रुपए	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती का पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** प्रवर्तन निदेशालय में 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु. के वेतन बैंड-3 में ऐसा उप विधि सलाहकार जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर उप विधि सलाहकार के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष नियमित सेवा के अध्यधीन सहायक विधि सलाहकार और उप विधि सलाहकार के रूप में दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 (वह तारीख जिसको 6ठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई थी) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी– (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पर धारण कर रहे हैं; या

(11)

(ii) जो मूल काडर या विभाग में 15600-39600 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य के वेतन बैंड-3 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :–

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य,

(ii) आयकर अधिनियम, सीमाशुल्क अधिनियम, फेमा, फेरा या दांडिक विधि के उपबंधों सहित राजवित्तीय विधि संबंधित बारह वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1 : पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा का गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई थी) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके जहां एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के अनुसार गठित चयन समिति :– 1. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त —अध्यक्ष 2. सतर्कता आयुक्त —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्रालय का भारसाधक सचिव, भारत सरकार —सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के कार्मिक मंत्रालय का भारसाधक सचिव, भारत सरकार —सदस्य 5. केन्द्रीय सरकार के राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव, भारत सरकार —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/1/2009-एडी.ईडी]

ए. सी. मल्लिक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2011

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Additional Director (Prosecution) in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Additional Director (Prosecution), Group 'A' post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in colsultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Director (Prosecution)	1* (2011) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4 Rs. 37400-67000, Grade Pay Rs. 8700	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Deputy Legal Adviser in Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 7600 in the Directorate of Enforcement with five years regular service in the grade failing which combined regular service of ten years as Assistant Legal Adviser and Deputy Legal Adviser subject to minimum of three years regular service as Deputy Legal Adviser. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date with effect from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation:** Officers of the Central Government,— (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 and grade pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :— (i) degree in law from a recognized University or equivalent, (ii) twelve years experience in dealing with fiscal laws including provisions of Income Tax Act, Customs Act, FEMA, FERA, or Criminal Laws. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

(11)

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date with effect from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Selection Committee constituted as per section 25 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 : 1. Central Vigilance Commissioner —Chairperson 2. Vigilance Commissioners —Members 3. Secretary to the Government of India Incharge of the Ministry of Home Affairs in the Central Government —Member 4. Secretary to the Government of India Incharge of the Ministry of Personnel in the Central Government —Member 5. Secretary to the Government of India Incharge of the Department of Revenue in the Central Government —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/1/2009-Ad. ED]

A. C. MALLICK, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.